



JALAUN POLICE

दिनांक – 11.07.2025

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ महोदय के निर्देशन में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली उरई एवं थाना डकोर पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर दीपू नागर व सर्वेश नागर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति 03 अदद प्लॉट (अनुमानित कीमत करीब 87 लाख 13 हजार रुपये) को कुर्क/जब्त किया गया।

संक्षिप्त विवरण – तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई की आख्या द्वारा अवगत कराया गया था कि अभियुक्तगण दीपू नागर व सर्वेश नागर पुत्रगण श्याम करन निवासीगण ग्राम सरसौकी कोतवाली उरई जनपद जालौन आर्थिक भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिसके संबन्ध में कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 01/2024 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा जिसकी विवेचना प्र०नि० थाना डकोर द्वारा संपादित की जा रही है। गैंगेस्टर उपरोक्त के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था।

माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में प्र०नि० कोतवाली उरई व प्र०नि० थाना डकोर मय पुलिस बल एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली उरई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 01/24 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण दीपू नागर व सर्वेश नागर द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गयी अचल संपत्ति 03 अदद प्लॉट मौजा सरसौकी गाटा संख्या 64 (दो भाग हैं, एक भाग दीपू नागर का व एक भाग सर्वेश नागर का है) व गाटा संख्या 63 (दीपू नागर का है) कुल क्षेत्रफल 596.41 वर्ग मीटर (जिसकी मालियत रू० 87,13000/- रू०) की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. दीपू नागर पुत्र श्याम करन निवासी ग्राम सरसौकी कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. सर्वेश नागर पुत्र श्याम करन निवासी ग्राम सरसौकी कोतवाली उरई जनपद जालौन

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- 03 अदद प्लॉट मौजा सरसौकी गाटा संख्या 64 (दो भाग हैं, एक भाग दीपू नागर का व एक भाग सर्वेश नागर का है) व गाटा संख्या 63 (दीपू नागर का है) कुल क्षेत्रफल 596.41 वर्ग मीटर (जिसकी मालियत रू० 87,13000/- रू०)

कुर्क करने वाली टीम-

1. प्र०नि० कोतवाली उरई व प्र०नि० थाना डकोर मय टीम।
2. नायब तहसीलदार, तहसील उरई जनपद जालौन।